

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा

दिनांक -16.05.2026

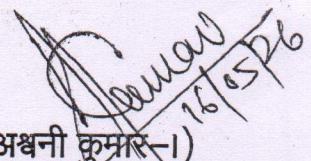
आदेश

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, इटावा से विचार विमर्श के उपरान्त प्राप्त दिशा निर्देशों के आलोक में न्यायालय सिविल जज(जू०डि०) एफ०टी०सी० चौदहवां वित्त आयोग/न्यायिक मजिस्ट्रेट इटावा के द्वारा वर्तमान में दाण्डिक कार्य सम्पादित किये जाने एवं पूर्व में पारित प्रभार आदेश में उक्त न्यायालय के प्रभारी न्यायालय का नाम अंकित न होने के कारण पूर्व में पारित प्रभार आदेश दिनांकित-31.05.2025 निम्न सीमा तक संशोधित किया जाता है-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	प्रभारी न्यायालय का नाम
1.	सिविल जज (जू०डि०)/F.T.C. / जे०एम० (CAW), इटावा ।	अपर सिविल जज(जू०डि०) एफ०टी०सी० चौदहवां वित्त आयोग/न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा।
2.	अपर सिविल जज(जू०डि०) एफ०टी०सी० चौदहवां वित्त आयोग/न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा।	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं०-1 इटावा

आदेश की प्रति माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, इटावा को अनुमोदन हेतु सादर प्रेषित की जाये। माननीय महोदय के अनुमोदन के उपरान्त उपरोक्त आदेश से सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाये तथा गार्ड फाइल में अनुरक्षित किया जाये ।

दिनांक 16.05.2026


(अश्वनी कुमार-1)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
इटावा

प्रतिलिपि-

1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय इटावा को सादर सूचनार्थ ।
2. उपरोक्त न्यायालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालन हेतु।
3. अध्यक्ष जिला बार संघ इटावा ।
4. केन्द्रीय कम्प्यूटर कार्यालय, जजी इटावा को अपलोड हेतु।